पत्र संख्याः–15 / जी 1–01 / 09 -40

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के. सेंथिल कुमार,
अपर सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय,
पटना विश्वविद्यालय,
बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा,
तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

पटना, दिनांक 12/01/2015

विषय :– दिनांक 06.01.2015 को आहूत बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक–2471, दिनांक 30.12.2014 का कृपया स्मरण करना चाहेंगे। उक्त पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में विभागीय राज्यादेश संख्या–127, दिनांक 11.03.2014, राज्यादेश संख्या–145, दिनांक 27.03.2014 एवं राज्यादेश संख्या–146, दिनांक 27.03.2014 द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि के विरूद्ध विहित प्रपत्र BTC 42A में अंकेक्षित लेखा (चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अंकेक्षित प्रतिवेदन) के साथ दिनांक 06.01.2015 को निदेशक, उच्च शिक्षा के कार्यालय कक्ष में आहूत बैठक में शामिल होने का निदेश दिया गया था। परन्तु, उक्त बैठक में आपके उपस्थित नहीं होने तथा वांछित प्रतिवेदन/कागजात प्राप्त नहीं कराने के कारण महत्वपूर्ण विभागीय कार्य का निष्पादन नहीं हो सका, जो खेदजनक है। विदित हो कि समय पर विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित उपयोगिता महालेखाकार को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका है। इस कारण से अगले वित्तीय वर्ष में सहायक अनुदान की स्वीकृति नहीं हो सकेगी, जिसकी पूरी जबावदेही आपकी होगी।

अतः पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्यतः वांछित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलबध कराते हुए, निर्धारित तिथि को बैठक में अनुपस्थित होने के संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाय।

12/1

(के. सेंथिल कुमार)।
अपर सचिव,

राजेश

New letter A